

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

1. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी
2. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य/डाईट/बाईट/गैटी ईचार्ज/खण्ड शिक्षा
अधिकारी/मुख्याध्यापक।

यादि क्रमांक 8/1-2019 तम (4)
दिनांक पंचकूला: 06/08/2021

विषय: अतिथि शिक्षकों के मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के यादि क्रमांक 8/1-2019 तम (4) दिनांक
11.09.2019 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 8/1-2019 तम (4) दिनांक
11.09.2019 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि पत्र में अंकित शब्द 'महंगाई भत्ता (D.A.)' के
स्थान पर 'मानदेय (Remuneration)' समझा जाए।


उप-अधीक्षक तालमेल-।
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
⑧ हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला 06/08/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चंडीगढ़।
2. पीएस / शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
3. पीएस / अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, चंडीगढ़।
4. पीएस / निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
5. पीए / निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
6. स्टेनो / अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक / मौलिक शिक्षा।
7. स्टेनो / संयुक्त निदेशक माध्यमिक / मौलिक शिक्षा।
8. आईटी. सैल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उप-अधीक्षक तालमेल-।
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
⑧ हरियाणा, पंचकूला